

भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जावे।	मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन एवं वनमंडलाधिकारी, नीमच द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार जिला नीमच में प्रस्तावित गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु वनमंडल नीमच की 43.149 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	---

तिथि :- 18.06.2025

स्थान :- भोपाल


H.S. MOHANTA
APCCF (L/M)
Bhopal (M.P.)